भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 142

सोमवार, 22 जुलाई, 2024 / 31 आषाढ़, 1946 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना

142. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएफ),1995 में संशोधन किया है जिन्होंने छह माह से कम की अंशदायी सेवा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदायी सेवा के 6 माह से कम होने के कारण अस्वीकृत किए गए निकासी लाभों के कुल दावों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने ईपीएस संबंधी निकासी मानदंडों को भी युक्तिसंगत बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असंगठित क्षेत्र को ईपीएस के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): जी हाँ, केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 की तालिका 'घ' में दिनांक 14.06.2024 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 326 (अ) के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया है कि ईपीएस के सदस्यों को पूर्ण किए गए सेवा के महीनों के अनुसार लाभ प्राप्त हो न कि पूर्ण किए गए सेवा के वर्षों के अनुसार।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, अंशदायी सेवा एक वर्ष से कम होने के कारण, लगभग 07 लाख ईपीएस निकासी दावे, नियमों के अनुसार अस्वीकार कर दिए गए थे।

इस संशोधन का उद्देश्य उचित और न्यायसंगत निकासी लाभ प्रदान करना है।

(ङ): ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 जिसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) कार्य करती है, केवल कारखानों और बीस या अधिक कर्मचारियों जिनकी मासिक ईपीएफ मजदूरी 15,000 रुपए प्रति माह तक है, को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्गों पर लागू होती है।

******